दूरभाष : (का0) 0135-2676260
फैक्स : 0135-2676177
E-mail : cgm-js-ua@nic.in

# उत्तराखण्ड जल संस्थान

**''जल भवन'' बी0ब्लॉक, नेहरू कालोनी, देहरादून–248001**

**पत्रांकः** 9853 **/मु0म0प्र0/उ0ज0सं0/अप्रै0/कार्यालय आदेश/2022-23 दिनांकः** 06-03-2024

**ई0मेल से प्रेषित**

## कार्यालय–आदेश

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आयोजित उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिडकी सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम 2012 के अर्न्तगत ''राज्य प्राधिकृत समिति'' की 60वीं बैठक दिनांक 05.01.2024 में राज्य प्राधिकृत समिति द्वारा पारित निर्देश ''निवेशको को उद्यम स्थापनार्थ में विभागों द्वारा जारी होने वाली सभी स्वीकृतियॉ/ अनुज्ञप्तियॉ/ अनुज्ञापन के आवेदन पत्रों को सिंगल विण्डो सिस्टम के माध्यम से ही प्राप्त एवं निस्तारित किये जाये'', उत्तराखण्ड शासन, सूक्ष्म, लघु, एवं मध्यम उद्यम अनुभाग, पत्रांक 66/VII-3-24/66-एम0एस0एम0आई0/2023 ई0पत्रावली सं0 41500 देहरादून दिनांक 18.01.2024 से प्रसारित हैं। उक्त के अनुपालन में निम्नानुसार निर्देश पारित किये जा रहे हैं :–

1. समस्त व्यास के औद्योगिक पेयजल संयोजन और 20 एम0एम0 व्यास से अधिक व्यास के सभी प्रकार के पेयजल संयोजन उद्यम एकल खिडकी (https://investuttarakhand.uk.gov.in) के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेगे। उक्त व्यास के पेयजल संयोजन किसी भी दशा में विभागीय पोर्टल पर स्वीकार न किये जाये।
2. उद्योगों और किसी कालोनी अथवा अन्य किसी प्रतिष्ठानों के समूह के लिए सीवर संयोजन उद्यम एकल खिडकी के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेगे। किसी भी दशा में इस प्रकार के सीवर संयोजन विभागीय पोर्टल पर स्वीकार न किये जाये।
3. उद्योगों और किसी कालोनी अथवा अन्य किसी प्रतिष्ठानों के समूह को विभाग द्वारा जारी की जानी वाली ''पेयजल अनुपलब्धता प्रमाण पत्र (Certificate for Non- availibity of water)'' के आवेदन उद्यम एकल खिडकी के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेगे तथा इन पर जारी होने वाली स्वीकृतियॉ/ अनुज्ञप्तियॉ/ अनुज्ञापन ऑन लाईन ही जारी किये जायेगें।

उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(नीलिमा गर्ग)
मुख्य महाप्रबन्धक

पृ0सं0 एवं दिनांक :– तदैव
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वरिष्ठ निजी सचिव–सचिव,पेयजल एवं स्वच्छता विभाग,उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के सादर संज्ञानार्थ।
2. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, पटेल नगर, देहरादून।

मुख्य महाप्रबन्धक

पृ0सं0 एवं दिनांक :– तदैव
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित :–

1. समस्त महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ...................।
2. सचिव, प्रशासन/अप्रैजल उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ....................
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ....................
5. आदेश पंजिका/गार्ड फाईल।

मुख्य महाप्रबन्धक